श्री सतीश
1.8.14

सेवा में
श्रीमान् केन्द्रीय सूचना अधिकारी,
पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
कार्पोरेट कार्यालय,
गुड़गांव।

विषय : [redacted] सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचनाएं।

महाशय,

निवेदन है कि पावर ग्रिड, सब स्टेशन, पूर्णियां (बिहार) के द्वारा 'इस्लामपुर से सहरसा' 800 KV HVDC के लिए नई विद्युत लाइन के निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें टावर सं. 385/2, 385/3, 386/0 एवं 386/1 का कार्य लंबित है। इसमें टावर सं० 385/3 का निर्माण पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा संचालित तथा सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय के बीच प्रांगण में होना है, जिससे उक्त विद्यालय को तोड़ना पड़ेगा जबकि इसमें गरीबों, दलितों तथा महादलितों के बच्चे पढ़ते हैं तथा सीबीएसई, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त उस इलाके का एकमात्र विद्यालय है। यदि उपर लिखित चारों टावरों का निर्माण वर्तमान सर्वे के अनुसार होता है तो हजारों की संख्या में शीशम, सेमर, नीम, बबूल, खैर, लीची, आम, बांस आदि के पेड़ों को काटना पड़ेगा जो कि 25 से 30 साल पुराना है। जबकि बागान के बगल से होकर पर्याप्त मात्रा में खाली जमीन उपलब्ध है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में निम्न सूचनाएं उपलब्ध करायें :-

1. सर्वे से लेकर आजतक पावरग्रिड के कौन-कौन से अधिकारी उक्त स्थल का दौरा किये हैं? उनका नाम, पदनाम तथा दौरे का दिनांक सहित सूची प्रदान करें।
2. प्रश्न सं० 2 से संबंधित अधिकारियों की दौरे की रिपोर्ट की प्रतियां उपलब्ध करायें।
3. क्या पावरग्रिड ने इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी / जिला पदाधिकारी, पूर्णियां के साथ कोई पत्राचार किया है? यदि पत्राचार किया है तो संबंधित पत्रों की प्रति उपलब्ध करायें।

4. पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालय के संबंध में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के धारा 10 का वाक्यांश (c) लागू होता है या नहीं ?

5. क्या पावरग्रिड ने इन चारों टावरों के निर्माण में भारतीय तार अधिनियम, 1885 के धारा 10 के वाक्यांश (d) का पूर्ण रूप से पालन किया है, जिसमें कम से कम क्षति करने को कहा गया है ?

6. इस्लामपुर से सहरसा के बीच, सर्वे के दौरान तय किये गए रूटों को, बाद में स्थानीय कारणों से कहां - कहां विचलन किया गया है ? सूची प्रदान करें।

7. प्रश्न सं० 6 से संबंधित रूटें का सर्वे के समय का नक्शा तथा विचलन के बाद के नक्शे की प्रति उपलब्ध करायें।

8. पावरग्रिड को किन वृक्षों को काटने से पहले 'वन विभाग' की अनुमति लेनी पड़ती है, कृपया सूची प्रदान करें।

9. कृपया स्पष्टत: बतायें टावर सं० 385/2 का फाउंडेशन (जो कि सैकड़ों पेड़ों के काटने के बाद ही संभव है), के लिए संबंधित किसान को पूर्व सूचना देना अनिवार्य है या नहीं ?

10. टावर सं० 385/2 के फाउंडेशन के लिए लिखित में पूर्व सूचना अनिवार्य है तो अभी तक क्यों नहीं दी गई है ?

11. क्या इस संबंध में पावरग्रिड, पूर्णियां ने पावरग्रीड, पटना / गुड़गांव कार्यालय के साथ कोई पत्राचार किया है ? यदि पत्राचार किया है तो पत्रों की प्रति उपलब्ध करायें।

मैं भारत का नागरिक हूँ तथा रू० 100/- का भारतीय पोस्टल सं० 77G 214770 एवं 77G 214771 (रू०50×2) संलग्न कर रहा हूँ।

पत्राचार का पता: सोना कुमार,
ग्राम - अशोकनगर,
पोस्ट - भौलखी,
थाना - मुरलीगंज
जिला - पूर्णियां (बिहार)
पिन - 852122

विश्वास भाजन
सोना कुमार
30.07.2014